प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारीएवं
सदस्य सचिव,
मंडलीय मान्यता समिति,
षष्ट मंडल लखनऊ ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

~~हीरा लाल यादव बालिका इं०का०सरोजनी नगर लखनऊ ।~~

पत्रांक आशु०/ 1246.53 /98–99/दिनांक 17.5.98

विषय:– अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) स्थायी मान्यता के सम्बन्ध में ।

==========x==========

महोदय,

शासनादेश संख्या 646/15–6–97–18एस(7)/89 दिनांक 13अगस्त 1997 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत मंडलीय मान्यता समिति के निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को कक्षा 6 से 8 तक स्थायी मान्यता यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है ।प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

शासनादेश में विहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नांकित शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होंगे ।

1– प्रधानाध्यापक	एक पद
2– सहायक अध्यापक	चार पद
3– लिपिक	एक पद
4– चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	एक पद

सहायक अध्यापकों की चार संख्या में एक अध्यापक विज्ञानतथा एक भाषा का होगा । समस्त शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन का भुगतान चेक द्वारा बैंक के माध्यम से उनके खातों में अन्तरण के द्वारा किया जायेगा । विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापकों पर भविष्य निधि की योजना लागू की जानी चाहिए । उक्त जनशक्ति में त्रिभाषा/प्रसार / क्राफ्ट अध्यापक सम्मिलित माने जायेंगे । शासकीय एवं विभागीय आदेशों का पालन न करने की दशा में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकारी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को होगा ।

भवदीय,

सदस्य –सचिव,
मंडलीय मान्यता समिति लखनऊ
एवं जिला बेसिक शिक्षाअधिकारीलखनऊ

पृष्ठांकन आशु०/ /98–99/दिनांक वहीतिथि

1– प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सेवा में सूचनार्थ प्रेषित:–

1–अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
2–सचिव ,बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
3– संयुक्त शिक्षा निदेशक, षष्ट मंडल लखनऊ ।
4–मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) षष्ट मंडल लखनऊ ।
5– जिला समाज कल्याण अधिकारी /जिला अल्पसंख्यक अधिकारी लखनऊ।
6–जिला पिछडाअधिकारी लखनऊ ।
7–उप बेसिक शिक्षाअधिकारी /क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र लखनऊ ।
8–लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ ।

सदस्य–सचिव,
मंडलीय मान्यता समिति लखनऊ एवं
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ,

MANAGER
Heeralal Yadav Balika Inter College
Sarojini Nagar,Lucknow-226008

PRINCIPAL
Heeralal Yadav Balika Inter College
Gauri Sarojini Nagar,Lucknow

रजिस्टर्ड

प्रेषक,

सेवा में,

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद ।

प्रबन्धक,
हीरालाल यादव बालिका इण्टर कालेज,
गौरी सरोजनीनगर, लखनऊ ।

पत्र संख्या आई० बी० मान्यता/इ/ 201 — इलाहाबाद, दिनांक 25 - 4 - , 1998

मांगे (कक्षा 9 व 10)

विषय--आपका /हाई स्कूल/~~इण्टरमीडिएट~~ परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त (वर्ग/विषय) की मान्यता का प्रार्थना-पत्र ।

महोदय,

राजाज्ञा संख्या 4432/15-7-4(1083)/1997 दिनांक 8.12.1997 द्वारा शासन ने ~~मान्यता समिति एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त~~ इण्टरमीडिएट शिक्षा ~~(संशोधन)~~ अधिनियम, 1921 की धारा 9 (4) (क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को ~~बालक~~/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की 12000 की हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/~~अतिरिक्त~~ वर्ग/विषयों में वित्त विहीन मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है ।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन 9वीं/~~11वीं~~ कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, कक्षा, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभृत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (बा0)~~ को पूर्णरूपेण संतुष्ट कर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय । बिना उनकी लिखित अनुमति के संचालित कक्षा अमान्य व अनियमित होगी और इसके लिये संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे ।

(2) इस आदेश-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मण्डलीय उप-शिक्षा निदेशक (बा0)~~ से 9वीं ~~11वीं कक्षा~~ संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी ।

(3) सज्जा का प्रबन्ध शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय । इसके लिये सिंगल सीटेड डेस्क व चेयर्स ही स्वीकार किये जायेंगे ।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अंशकालिक अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति नियमानुसार की जाय ।

(5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय ।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें ।

MANAGER
Heeralal Yadav Balika Inter College
Sarojini Nagar,Lucknow-226008

PRINCIPAL
Heeralal Yadav Balika Inter College
Gauri Sarojini Nagar,Lucknow

कृ० प० उ०

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी ।

(ख) विद्यालय द्वारा कक्षा 9 व 10 के अतिरिक्त यदि अन्य कक्षाएं संचालित की जाती है तो वे अमान्य होगी तथा हाईस्कूल का भाग नही होगी ।

(ग) विज्ञान। तथा प्राभूत कोष के अन्तर्गत एक साथ जमा 20000/-को अलग अलग जमा कर परिषद को सूचित किया जाय।

(घ) भवन/भूमि एवं क्रीडास्थल विद्यालय के निजी स्वामित्व में होने का रजिस्ट्री प्रमाण की प्रमाणित फोटो प्रतियां भेजी जाय।

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
सीधे हाईस्कूल साहित्यिक नवीन	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गृहविज्ञान, विज्ञान, सामाजिकविज्ञान, नैतिक शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा, उत्पादक एवं [illegible] कार्य	नागरिकशास्त्र

टिप्पणी--(1) कक्षा 9 में प्रवेश हेतु कम से कम 40 छात्र उपलब्ध होने तथा इस पत्र में अंकित समस्त प्रतिबंधों (नियुक्तियों को छोड़कर) की पूर्ति होने के उपरान्त ही निरीक्षक, निर्देशित छुट्टा कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करें।

संलग्न- भवनविश्लेषण

भवदीय,

अपर सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या आई० बी० मान्यता/इ/   दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक~~ (मा०) । लखनऊ
(2) मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक । लखनऊ
(3) उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०, इलाहाबाद ।
(4) हाई स्कूल/~~इण्टरमीडिएट~~ परीक्षा, संस्थागत अनुभाग ।
(5) उप सचिव परिषद मुख्यालय, इलाहाबाद।

अपर सचिव ।

MANAGER
Heeralal Yadav Balika Inter College
Sarojini Nagar,Lucknow-226008

PRINCIPAL
Heeralal Yadav Balika Inter College
Gauri Sarojini Nagar,Lucknow

पी० एस० यू० पी०--199 मा० शि० प०--21-1-97--10,000 प्रतियां (पी० डी०) ।

रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,

क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद

सेवा में,

प्रबन्धक,

हीरालाल यादव बालिका इण्टर कालेज,

गौरी सरोजनीनगर, लखनऊ ।

पत्रांक:-आई० वी० मान्यता/ 2719 दिनांक 17.2. 2005

विषय:-इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के सम्बन्ध में ।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7-क (क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की वर्ष 200 6की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में वित्तविहीन मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा 7-क (क) के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदान किया है ।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7-क (क) के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11 वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भवन, पुस्तकालय, प्रामृत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को अवगत करायें ।

(2) इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् कार्यालय को 11वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी ।

(3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय ।

(4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय । यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा ।

(5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करेंगे तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7-क (क) के समस्त प्राविधान यथावत लागू होंगें ।

[क्र० प० उ०

MANAGER
Heeralal Yadav Balika Inter College
Sarojini Nagar,Lucknow-226008

PRINCIPAL
Heeralal Yadav Balika Inter College
Gauri Sarojini Nagar,Lucknow

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा मिथ्या पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थाधिकारी का होगा।

(ख)

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर मानविकी वर्ग के अन्तर्गत अति० विषय	-----	गृह विज्ञान एवं अर्थशास्त्र

टिप्पणी:---उक्त पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6 (छः) माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,
17/2/2-8
क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

पृष्ठांकन संख्या : आई० बी० मान्यता/ दिनांक 200

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :---

1--जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ ।।
2--संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ
3--संभागीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ ।
4--इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग को अभिलेख हेतु।
5--सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्यालय इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

पी० एस० यू० पी०--72 मा० शि० प०--20-7-2002--10,000 (जाब)।

MANAGER
Heeralal Yadav Balika Inter College
Sarojini Nagar,Lucknow-226008

PRINCIPAL
Heeralal Yadav Balika Inter College
Gauri Sarojini Nagar,Lucknow

रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,
हीरा लाल यादव बालिका इ0का0
गौरी सरोजनीनगर लखनऊ।

पत्र संख्या : आई0 बी0 मान्यता/ 2909   दिनांक 1-3- 2005

विषय :--इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने राजाज्ञा संख्या 9165/15-7-04-4(1559)/2003 दिनांक 14 जनवरी 2005 द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 9(4) के अधीन आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की वर्ष 2006 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/ विषयों में वित्तविहीन मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7क क के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7क क के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय को प्रदत्त मान्यता को 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था शिक्षण व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भवन, पुस्तकालय, प्रामृत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् कार्यालय को 11वीं कक्षा संचालित करने का विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) मान्यता पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।

(4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।

(5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करेंगे तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7 क क के समस्त प्राविधान यथावत् लागू होंगे।

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना एवं प्रमाण मिथ्या या गलत पाया जाता है अथवा तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थाधिकारी का होगा।

क्र0 प0 उ0

MANAGER
Heeralal Yadav Balika Inter College
Sarojini Nagar,Lucknow-226008

PRINCIPAL
Heeralal Yadav Balika Inter College
Gauri Sarojini Nagar,Lucknow

(ख) प्रबन्ध तंत्र द्वारा इस आशय का पारित प्रस्ताव कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7क कके प्राविधानों को बिना किसी शर्त के अंगीकार किया जाता है, तत्काल निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को दिया जाना अनिवार्य होगा। प्रस्ताव प्राप्त न होने की दशा में प्रदत्त मान्यता परिषद्/शासन द्वारा प्रत्याहृरित कर ली जायगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थाधिकारी का होगा।

(ग) विद्यालय की इण्टर वैज्ञानिक अति0 वर्ग की प्रतिभूति में रूपया 5000=00 एवं अतिरिक्त विषयों की मान्यता हेतु प्रति विषय 3000=00 की दर से प्रतिभूति रूपया 12000=00 विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षक के पदनाम में बन्धक होने का प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाय।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर मानविकी अति0 विषय	—	चित्रकला, मनोविज्ञान, इतिहास, संगीत(गायन
इण्टर वैज्ञानिक वर्ग अतिरिक्त वर्ग	हिन्दी	भौ. वि. रसा. वि., जीव विज्ञान, अंग्रेजी एवं गणित

टिप्पणी:-उक्त पत्र में अंकित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति ~~6 (छः) माह~~ एक वर्ष के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

30/3/2005

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

पृष्ठांकन संख्या:-- आई0 बी0 मान्यता/ दिनांक 200

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1--जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
2 -संभागीय मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ
3--संभागीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ।
4-- इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग को अभिलेख हेतु।
5--सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

पी0 एस0 यू0 पी0--71 मा0 शि प0--20-7-2002--10,000 (जाब)।

MANAGER
Heeralal Yadav Balika Inter College
Sarojini Nagar,Lucknow-226008

PRINCIPAL
Heeralal Yadav Balika Inter College
Gauri Sarojini Nagar,Lucknow

रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,
हीरा लाल यादव बालिका इण्टर कालेज,
सरोजनीनगर, लखनऊ।

पत्रांकः–मा0शि0प0/क्षे0का0इ0/मान्यता/ 1129 दिनांक–30-8-2018

विषयः– इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये ~~नवीन~~/अतिरिक्त वर्ग/~~विषय~~ की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा–7क(क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को ~~बालक~~/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की वर्ष– 2017 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ ~~नवीन~~/अतिरिक्त वर्ग/~~विषयों~~ में मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा–7क(क) के प्रावधानो के अधीन प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा(संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा–7क(क) के प्रावधानो के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11 वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज–सज्जा, शिक्षण सामाग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भवन, पुस्तकालय, प्राभूत कोष सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता–पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् कार्यालय को 11 वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यून्तम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।

(4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।

(5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा–7क(क) के समस्त प्रावधान यथावत् लागू होंगे। इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

कृ0प0उ0

MANAGER
Heeralal Yadav Balika Inter College
Sarojini Nagar,Lucknow-226008

PRINCIPAL
Heeralal Yadav Balika Inter College
Gauri Sarojini Nagar,Lucknow

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा मिथ्या पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं को साथ परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ग) प्रतिभूत (जमानत) की धनराशि रू0 5000/– (रू0 5000/– एवं रू0 3000/– प्रति वर्ग/प्रति विषय की दर से) विद्यालय के नाम जमा एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के पद नाम में बंधक कराकर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से भेजे।

(घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या–25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विशेष अपील में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–11–2012 के विरूद्ध मान0 उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले क्लियरी–फिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर वाणिज्य वर्ग अतिरिक्त।	हिन्दी	विवरण पत्रिकानुसार।

टिप्पणी–उक्त पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धो की पूर्ति 6(छः) माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

पृष्ठांकन सं0: मा0शि0प0/क्षे0का0इ0/मान्यता/ दिनांक– 20

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
2– संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ।
3– संभागीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ।
4– इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग को अभिलेख हेतु।
5– सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

MANAGER
Heeralal Yadav Balika Inter College
Sarojini Nagar,Lucknow-226008

PRINCIPAL
Heeralal Yadav Balika Inter College
Gauri Sarojini Nagar,Lucknow